

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश /3774 /2022

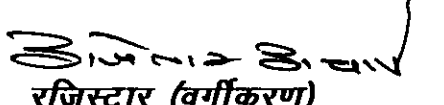
दिनांक : 08.11.2022

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/2899/2022 दिनांक 21.09.2022 की निरन्तरता में श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को दिनांक 30.10.2022 से 03.11.2022 तक 05 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

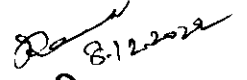
आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
7.12.22
दिनांक 08.11.2022

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/11/1998/ 8335

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 46 दिनांक 04.11.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ0297), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, भीलवाड़ा।


सहायक रजिस्ट्रार